[2022] 10 एस. सी. आर. 95

/

एस. शंकरैया टीएचआर। जी. पी. ए. धारक और ओआरएस

बनाम

भूमि अधिग्रहण अधिकारी और राजस्व विभागीय अधिकारी पेड्डापल्ली करीमनगर जिला और हमारा। (2022 की सिविल अपील संख्या 6821)

/

नवंबर 09,2022

[एम**.** आर**.** शाह और कृष्णा मुरारी**,** जे**.** जे**.]**

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894-बाजार मूल्य निर्धारित करने और विकासात्मक शुल्कों की कटौती के लिए भूमि के अधिग्रहण का उद्देश्य-विकासात्मक शुल्कों की कटौती, जब उचित न हो-कोयले की खुदाई के लिए अधिग्रहित भूमि-भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने अधिग्रहित भूमि के लिए बाजार मूल्य तय किया-मुआवजे से संतुष्ट नहीं, मूल भूमि मालिकों/दावेदारों ने संदर्भ मांगे-संदर्भ न्यायालय ने उप-मिट्टी खनिज अधिकारों के लिए मुआवजे @Rs.15,000/- प्रति एकड़ के साथ बाजार मूल्य <ID4,000/- और <ID5,000/- प्रति एकड़ निर्धारित किया-उच्च न्यायालय ने भूमि के बाजार मूल्य को देखते हुए प्रति एकड़ मुआवजे के रूप में @<ID1,000/- का आदेश दिया।जिस उद्देश्य के लिए अधिग्रहण किया जाता है, वह भी बाजार मूल्य निर्धारित करने के लिए एक प्रासंगिक कारक है और जिस उद्देश्य के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जाता है, उस उद्देश्य को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए-वर्तमान मामले में, जब अधिग्रहण पूरी तरह से कोयले की खुदाई के उद्देश्य से किया जाता है और पूरी भूमि का अधिग्रहण कोयला भंडार के अनुमानों के आधार पर किया जाता है और पूरी भूमि का खनन और उपयोग किया जाना है और आगे कोई विकासात्मक गतिविधि की आवश्यकता नहीं है, तो उच्च न्यायालय ने विकास गतिविधियों के लिए 1/3 हिस्से की कटौती करने में गलती की-इसके अलावा, कोयला जमा के कारण दी गई प्रति एकड़ <ID1,000/- की अतिरिक्त राशि, इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाता है-इस प्रकार, मूल दावेदार प्रति एकड़ अधिग्रहित भूमि के लिए मुआवजे के हकदार हैं।

/

/

/

/

/

अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध हो सकता है-इसके अलावा, कोयला जमा के कारण उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार Rs.10,000/- प्रति एकड़ का भी हकदार है -

आक्षेपित निर्णय को उपरोक्त सीमा तक संशोधित किया गया।

/

95 ए.

96 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 10 एस. सी. आर.

आंशिक रूप से अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया :जिस उद्देश्य के लिए अधिग्रहण किया जाता है, वह भी बाजार मूल्य निर्धारित करने के लिए एक प्रासंगिक कारक है और भूमि अधिग्रहण के उद्देश्य को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।इस प्रकार, जब अधिग्रहण केवल कोयले की खुदाई के उद्देश्य से किया जाता है और पूरी भूमि का अधिग्रहण चिन्हित कोयला भंडार के अनुमानों के आधार पर किया जाता है और पूरी भूमि का खनन और उपयोग किया जाना है और आगे कोई विकासात्मक गतिविधि की आवश्यकता नहीं है, तो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने विकासात्मक गतिविधियों के लिए एक तिहाई की कटौती करने में गलती की है।कोयला जमा के कारण उच्च न्यायालय द्वारा प्रति एकड़ **1,000** रुपये की दर से दी गई अतिरिक्त राशि में अधिक हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है, विशेष रूप से जब इस न्यायालय द्वारा इसकी पुष्टि की गई है, क्योंकि इस न्यायालय द्वारा प्रतिवादियों द्वारा की गई अपीलों को खारिज कर दिया गया है।मूल दावेदार अधिनियम, **1894** के प्रावधानों के अंतर्गत उपलब्ध अन्य वैधानिक लाभों के साथ प्रति एकड़ रुपये की दर से अधिग्रहित भूमि के लिए मुआवजे के हकदार होंगे।इसके अलावा, मूल दावेदार भी कोयले के भंडार के कारण उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार प्रति एकड़ **Rs.10,000/-** के हकदार होंगे।उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित सामान्य निर्णय और आदेश को उपरोक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है। **[**अनुच्छेद **6.2,3,7** और **8] [100-**डी**; 101-**सी**-**ई**]**

/

/

/

/

अधिकारी दक्षिण गोवा और अन्य। (2007) 9 एससीसी 447:[2007] 3 एससीआर 563-पर निर्भर।

बसव बनाम स्प्ल. भूमि अधिग्रहण अधिकारी, (1996) 9 एससीसी

/

640 :[1996] 3 एस**.** सी**.** आर**. 500-**संदर्भित।संदर्भित निर्णय

[2007] 3 एससीआर **563**

पर विश्वास किया

पैरा **3.1**

[1996] 3 एससीआर **500**

संदर्भित

पैरा **6.2**

/

सिविल अपीलीय अधिकारिता 2022 की सिविल अपील संख्या 6821।

हैदराबाद में आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के 2001 के अपील वाद सं. 1634 में 1988 के ओ. पी. सं. 76 के निर्णय और आदेश से।

/

97

एस. शंकरैया टीएचआर। जी. पी. ए. होल्डर बनाम भूमि अधिग्रहण अधिकारी और आर. डी. ओ. पेड्डापल्ली करीमनगर जिला।

/

सह

2022 की सिविल अपील संख्या 6823,6824 और 6825।

ए. मारियारपुथम, सीनियर एड., श्रीधर पोटाराजू, सुश्री सिंदूरा वी. एन. एल., सुश्री शिवानी तुशीर, रजत श्रीवास्तव, पी. परमेस्वरन, अनुराग दयाल माथुर, सुश्री अनुराधा अर्पुथम, शरण ठाकुर, शांतनु सिंह, सिद्धार्थ ठाकुर, रवि सहगल, डॉ. सुशील बलवाड़ा, एस. उदय कुमार सागर, पी. वेंकट रेड्डी, प्रशांत के. त्यागी, मेसर्स वेंकट पलवाई विधि एसोसिएट्स के लिए पी. श्रीनिवास रेड्डी, अधिवक्ता।उपस्थित पक्षकारों के लिए।न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

/

एम. आर. शाह, जे.

/

1. 2001 की संबंधित पहली अपील संख्या 1634 और अन्य संबद्ध अपीलों में हैदराबाद में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित सामान्य निर्णय और आदेश दिनांक 1 से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, मूल भूमि मालिकों/दावेदारों ने अधिग्रहित भूमि के लिए मुआवजे की राशि बढ़ाने की मांग करने वाली वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है।

/

2. करीमनगर जिले के मन्थानी मंडल के अद्रियल गाँव में विभिन्न सर्वेक्षण संख्या में बड़ी मात्रा में भूमि का अधिग्रहण राज्य सरकार द्वारा सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड के लाभ के लिए किया गया था।कोयले की खुदाई के उद्देश्य से भूमि का अधिग्रहण किया गया था।भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (इसके बाद 'अधिनियम, 1894' के रूप में संदर्भित) की धारा 4 (1) के अंतर्गत अधिसूचना 13.05.1985 पर जारी की गई।अधिनियम 1894 की धारा 6 के अंतर्गत घोषणा 31.07.1985 पर जारी की गई थी।भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने वर्ष 1987 में पुरस्कार पारित किए, जिसमें अधिग्रहण की गई भूमि का बाजार मूल्य 7,000/- रुपये प्रति एकड़ श्रेणी 1-खेती के अंतर्गत सूखी भूमि और Rs.6000-श्रेणी 2-सूखी भूमि बची हुई भूमि के लिए प्रति एकड़ निर्धारित किया गया।भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा दिए गए मुआवजे से संतुष्ट नहीं होने पर भूमि मालिकों ने अधिनियम, 1894 की धारा 18 के अंतर्गत संदर्भ मांगे। भूमि मालिकों ने 2 लाख रुपये प्रति एकड़ के मुआवजे का दावा किया।संदर्भ न्यायालय ने बाजार मूल्य Rs.30,000/- प्रति एकड़ और Rs.50,000/- प्रति एकड़ निर्धारित किया। संदर्भ न्यायालय ने उप-मृदा खनिज अधिकारों के लिए प्रति एकड़ मुआवजे की राशि @Rs.15,000/- देने का भी आदेश दिया।आक्षेपित सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने भूमि के बाजार मूल्य को ध्यान में रखते हुए प्रति एकड़ 1,000 रुपये का मुआवजा निर्धारित किया है और उसके बाद प्रति एकड़ एक तिहाई की कटौती की है।द हाई

/

/

/

/

इसके अलावा न्यायालय ने उप-मृदा अधिकारों के लिए बाजार मूल्य के हिस्से के रूप में प्रति एकड़ Rs.10,000/- का भी फैसला किया है।

2.1 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित सामान्य निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, कोयला जमा के कारण उप-मिट्टी के अधिकारों के लिए <ID2,000/- प्रति एकड़ और <ID1,000/- प्रति एकड़ का मुआवजा निर्धारित और प्रदान करते हुए, मूल दावेदारों-भूमि मालिकों ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है।

/

2.2 शुरुआत में, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि बहुत ही आक्षेपित सामान्य निर्णय और आदेश के खिलाफ लाभार्थी-सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड ने विशेष अनुमति याचिकाओं के माध्यम से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिन्हें खारिज कर दिया गया है।समीक्षा आवेदन भी खारिज कर दिए जाते हैं।इसलिए, इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए जो छोटा प्रश्न उठाया गया है, वह यह है कि क्या उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित/दिए गए मुआवजे की राशि को मूल दावेदारों/भूमि मालिकों द्वारा दायर अपीलों में बढ़ाने की आवश्यकता है?

/

3. अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि मुआवजे का निर्धारण/अधिनिर्णय करते समय माननीय उच्च न्यायालय ने इस बात की सराहना नहीं की है कि याचिकाकर्ता उप-मृदा खनिजों सहित भूमि के पूर्ण मालिक थे और केवल कार्यकाल धारक नहीं थे।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए अधिग्रहित भूमि के लिए मुआवजे की राशि निर्धारित करते समय उप-मृदा खनिज अधिकारों के दावे पर भी विचार करने की आवश्यकता थी।यह प्रस्तुत किया जाता है कि आक्षेपित निर्णय और आदेश में माननीय उच्च न्यायालय ने विशेष रूप से यह निष्कर्ष भी दिया है कि भूमि की सतह या उप-मिट्टी पर मौजूद जमा की प्रकृति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और यदि दुर्लभ खनिजों या कीमती पत्थरों का कोई भंडार है, तो यह भूमि के बाजार मूल्य में वृद्धि करेगा।यह प्रस्तुत किया जाता है कि यद्यपि माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण अधिकारी या सिविल न्यायालय के लिए उप-मृदा खनिज अधिकारों के लिए अलग से मुआवजा देना उचित नहीं है, इसके बाद यह देखा जाता है कि बाजार मूल्य निर्धारित करते समय तथ्य को ध्यान में रखना या ध्यान में रखना उचित है।

/

/

/

3.1.भूमि मालिकों/दावेदारों की ओर से उपस्थित विद्वान न्यायालय द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि अन्यथा अधिग्रहण केवल कोयले की खुदाई के उद्देश्य से किया गया था और अधिग्रहण के लिए कोई अन्य उद्देश्य नहीं था और पूरी अधिग्रहित भूमि की खुदाई की जा रही

है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि चूंकि पूरी भूमि का खनन किया जाना है, इसलिए कोई अपव्यय नहीं है

/

/

99

एस. शंकरैया टीएचआर। जी. पी. ए. होल्डर बनाम भूमि अधिग्रहण अधिकारी और आर. डी. ओ. पेड्डापल्ली करीमनगर जिला। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

सड़कों, सीवेज लाइनों, उद्यानों आदि जैसी किसी भी विकासात्मक गतिविधियों के कारण भूमि, जिन्हें औद्योगिक/वाणिज्यिक/आवास लेआउट में तराशना आवश्यक है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस तरह की कटौती के लिए किसी भी औचित्य के अभाव में निर्धारित मुआवजे से कटौती की अनुमति नहीं हो सकती है क्योंकि पूरी भूमि में कोयला भंडार है।रिलायंस को इस मामले में इस न्यायालय के फैसले पर रखा गया है

/

नेल्सन फर्नांडिस और अन्य बनाम विशेष भूमि अधिग्रहण

अधिकारी दक्षिण गोवा और अन्य ने (2007) 9 एस. सी. सी. 447 में रिपोर्ट किया।
4.उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ए. मारियारपुथम ने वर्तमान अपीलों का विरोध करते हुए कहा है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित राशि जिसमें कोयला जमा के लिए प्रति एकड़ 1,000 रुपये शामिल हैं, इस माननीय न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।

/

4.1 अब जहां तक माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रति एकड़ रुपये से की गई 1/3 कटौती है, यह प्रस्तुत किया जाता है कि विधि की तय स्थिति के अनुसार विकास के लिए एक उचित कटौती होगी और इसलिए 1/3 कटौती को विकास के लिए न्यायसंगत और उचित कटौती कहा जा सकता है, जिसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।

/

उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए, यह अनुरोध किया जाता है कि वर्तमान अपीलों को आगे प्रस्तुत करके खारिज कर दिया जाए कि प्रतिवादियों-सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड और अन्य द्वारा की गई अपीलों को इस न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है और इस माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश की पुष्टि इस न्यायालय द्वारा की गई है।

/

5. संबंधित पक्षों की ओर से लंबे समय तक उपस्थित विद्वान वकील को सुना।

/

6. आक्षेपित सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने Rs.80,000/- प्रति एकड़ का निर्धारण और अधिनिर्णय किया है।उच्च न्यायालय ने कोयला जमा के कारण उप-मिट्टी के अधिकारों के लिए Rs.10,000/- भी दिए/दिए हैं।उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित सामान्य निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, मूल दावेदारों/भूमि मालिकों ने मुआवजे की राशि बढ़ाने के लिए वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है।

/

6.1 शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि जहां तक प्रतिवादियों-सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड और अन्य द्वारा दायर अपीलों को इस न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है।

/

100

/

[2022] 10 एस सी आर।

6.2 प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजे का निर्धारण और अधिनिर्णय करते समय उच्च न्यायालय ने प्रश्न भूमि का बाजार मूल्य रुपये के हिसाब से माना है।हालांकि, इसके बाद विकास शुल्क आदि के लिए एक तिहाई की कटौती की गई है और उसके बाद मुआवजे की वास्तविक राशि Rs.80,000/- प्रति एकड़ दी गई है।दावेदारों/भूमि मालिकों की ओर से यह मामला है कि प्रश्न भूमि का अधिग्रहण खनन कंपनी/सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड के लाभ के लिए किया गया है जिसका उपयोग कोयले की खुदाई के लिए किया जाना है।अधिग्रहित भूमि में कोयला पहले से मौजूद है।चूंकि पूरी भूमि का खनन किया जाना है और कोयले की खुदाई की जानी है, इसलिए सड़कों, सीवेज लाइनों, पार्कों आदि जैसी किसी भी विकासात्मक गतिविधियों के कारण भूमि की कोई बर्बादी नहीं होती है। मामले के उस दृष्टिकोण में, कोई विकास की आवश्यकता नहीं है और इसलिए 1/3 कटौती बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है।नेल्सन फर्नांडिस (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा इसी तरह के प्रश्न पर विचार किया गया और इसके पहले के निर्णय पर विचार करने के बाद

/

/

बसव बनाम विशेष के मामले में न्यायालय । भूमि अधिग्रहण अधिकारी, (1996)

9 एस. सी. सी. 640, जिसमें इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि जिस उद्देश्य के लिए अधिग्रहण किया जाता है, वह भी बाजार मूल्य निर्धारित करने के लिए एक प्रासंगिक कारक है और जिस उद्देश्य के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जाता है, उस पर भी विचार किया जाना चाहिए, उसके बाद पैराग्राफ 29 में यह निम्नानुसार देखा और अभिनिर्धारित किया गया हैः

/

"29. विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, जिला न्यायाधीश और उच्च न्यायालय दोनों इस बात पर ध्यान देने में विफल रहे हैं कि अधिग्रहण का उद्देश्य रेलवे के लिए है और यह कि क्षतिपूर्ति तय करने के लिए उद्देश्य एक प्रासंगिक कारक है जिस पर विचार किया जाना चाहिए।इस संदर्भ में, हम उपयोगी रूप से इस न्यायालय के निर्णय का उल्लेख कर सकते हैं।

/

विलुबेन झलेजर ठेकेदार बनाम गुजरात राज्य [(2005) 4

एससीसी 789:जे. टी. (2005) 4 एस. सी. 282]इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जिस उद्देश्य के लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया है, उसे बाजार मूल्य निर्धारित करने और विकास शुल्क की कटौती में भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।उपरोक्त मामले अंतर्गत , भूमि का अधिग्रहण किया गया था क्योंकि वे एक बांध के पानी अंतर्गत डूबी हुई थीं।मालिकों ने 40 रुपये प्रति वर्ग फुट के मुआवजे का दावा किया। एल. ए. ओ. ने 35 रुपये से लेकर 60 रुपये प्रति वर्ग मीटर तक का मुआवजा दिया।संदर्भ न्यायालय ने भूमि का बाजार मूल्य 200 रुपये प्रति वर्ग मीटर निर्धारित किया और विकास शुल्क की कटौती के बाद 134 रुपये प्रति वर्ग मीटर के मुआवजे का निर्धारण किया।मुआवजे पर पहुंचने पर, संदर्भ न्यायालय ने 270 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से भूमि के एक टुकड़े की तुलनात्मक बिक्री पर निर्भरता रखी।अपील पर, उच्च न्यायालय ने ए

/

/

/

बड़े भूखंडों के लिए 180 रुपये प्रति वर्ग मीटर और छोटे भूखंडों के लिए 200 रुपये प्रति वर्ग मीटर का मुआवजा।आगे की अपील पर, इस न्यायालय ने कहा कि चूंकि भूमि का अधिग्रहण बांध के पानी में डूबने के लिए किया गया था और इसका कोई संभावित मूल्य नहीं था और बिक्री का उदाहरण 46.30 वर्ग मीटर का एक छोटा भूखंड था, जबकि वर्तमान मामले में

अधिग्रहण बड़े क्षेत्र के संबंध में था, इसलिए बड़े भूखंडों के संबंध में 160 रुपये प्रति वर्ग मीटर और 175 रुपये प्रति वर्ग मीटर का मुआवजा देकर न्याय का ब्याज कम किया जाएगा।

/

छोटे भूखंडों के लिए।बसव बनाम स्प्ल. भूमि अधिग्रहण अधिकारी

[(1996) 9 एससीसी 640:जे. टी. (1996) 5 एस. सी. 580] इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जिस उद्देश्य के लिए अधिग्रहण किया जाता है वह भी बाजार मूल्य निर्धारित करने के लिए एक प्रासंगिक कारक है। "

/

6.3.इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णय में निर्धारित विधि को हाथ में मामले के तथ्यों पर लागू करते हुए और जब अधिग्रहण पूरी तरह से कोयले की खुदाई के उद्देश्य से किया जाता है और पूरी भूमि का अधिग्रहण कोयला भंडार के अनुमानों के आधार पर किया जाता है और पूरी भूमि का खनन और उपयोग किया जाना है और आगे कोई विकासात्मक गतिविधि की आवश्यकता नहीं है, तो हमारी राय है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने विकासात्मक गतिविधियों के लिए एक तिहाई की कटौती करने में गलती की है।कोयला जमा के कारण उच्च न्यायालय द्वारा प्रति एकड़ 1,000 रुपये की दर से दी गई अतिरिक्त राशि में अधिक हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है, विशेष रूप से जब इस न्यायालय द्वारा इसकी पुष्टि की गई है, क्योंकि इस न्यायालय द्वारा प्रतिवादियों द्वारा की गई अपीलों को खारिज कर दिया गया है।

/

/

7. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारण को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अपीलें आंशिक रूप से सफल होती हैं।यह अभिनिर्धारित किया गया है कि मूल दावेदार अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अंतर्गत उपलब्ध अन्य वैधानिक लाभों के साथ प्रति एकड़ रुपये की दर से अधिग्रहित भूमि के लिए मुआवजे के हकदार होंगे।इसके अलावा, मूल दावेदार भी कोयले के भंडार के कारण उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार प्रति एकड़ Rs.10,000/- के हकदार होंगे।

/

उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित सामान्य निर्णय और आदेश को एतद्द्वारा उपरोक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है।

/

वर्तमान अपीलों को उपरोक्त सीमा तक आंशिक रूप से अनुज्ञात जाती है।हालांकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

दिव्या पांडे

अपीलों को आंशिक रूप से अनुज्ञात गई।

(सहायकः रूपांशी विरंग, एलसीआरए)

/